

05-04-22

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील वादी द्वारा 'नोट-प्रेस' अंकन किया गया है। मूल काद 'नोट-प्रेस' में खाति किया जा चुका है। पत्रावली में अब आवे कार्यवाही चलाना नहीं चाहते हैं, अतः पत्रावली 'नोट-प्रेस' में एतद्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर नंबर से कम हो। निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया जाकर और हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया जागा है।

Yr

सहायक कलेक्टर
साँभर लेक

Not press
~~Concluding~~
 (वकील वादी)

